

सरकारी संस्थान राजस्थान

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—रिपोर्ट/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा—समाप्ति/2018

दिनांक—०५।०३।२०२०

कार्यालय आदेश

श्री बद्री नारायण गर्ग, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि रानपुर — कोटा जिल्हे जा.स तिथि:- 19.11.1964 है, का निधान दिनांक :- 24.12.2019 को हो चुका है। अतः श्री बद्री नारायण गर्ग प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 24.12.2019 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री बद्री नारायण गर्ग, के विषद्द मृत्यु दिनांक तक

1. राजस्थान सिविल सेवा (पार्टीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (पार्टीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यागित कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

(रामेश्वर स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक—शिविर/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा—समाप्ति/2018 / ६३

दिनांक—०५—०३—२०२०

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित —

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, हितकारी निधि कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. प्रधानाचार्य राउमावि रानपुर — कोटा
8. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/संस्थापन ए.बी./हितकारी निधि कार्यालय हाजा
9. आश्रित स्व. श्री बद्री नारायण गर्ग, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि रानपुर — कोटा
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली

जयुक्त निदेशक (कार्यक्रम)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक- रिपोर्ट/मा/संस्था/सी-७/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- ०५।०३।२०२०

कार्यालय आदेश

श्री राजेन्द्र सिंह, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि इब्राहिमपुर - रूपवास - भरतपुर सिनकी जन्म तिथि:- ०१.०१.१९६१ है, का निधन दिनांक :- ०३.११.२०१९ को हो चुका है। अतः श्री राजेन्द्र सिंह प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- ०३.११.२०१९ से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री राजेन्द्र सिंह, के विरुद्ध यृत्यु दिनांक तक

१. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम १९५८ के नियम-१६ के अधीन कोई विधायी जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
२. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-१९ के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
३. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-७/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018 / ६६
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

दिनांक- ०५-०३-२०२०

१. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
२. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
३. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय भा.शि.
४. अनुभाग अधिकारी, हितकारी निधि कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु
५. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को डैबसाईट पर अपलोड हेतु
६. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
७. प्रधानाचार्य राउमावि इब्राहिमपुर - रूपवास- भरतपुर
८. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/संस्थापन ए.बी./हितकारी निधि कार्यालय हाजा
९. आश्रित स्व. श्री राजेन्द्र सिंह, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि इब्राहिमपुर - रूपवास- भरतपुर
१०. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कामेक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर